न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–18/2022

रामनारायण प्रसाद.....वादी

बनाम

दिनेश यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.11.2022	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.06.2022 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा मद न0–02 नालिश की एराजी पर हकियत की घोषणा दखल कब्जा वापसी सहित अन्य दादरसी के लिए यह मुकदमा लाया गया है। मुकदमें की जानकारी प्रतिवादीगणों को हो चुकी है। परंतु प्रतिवादी सं0–01 व 02 विवादित एराजी मद न0–02 नालिश की यथास्थिति में मिट्टी भरकर मकान निर्माण करके परिवर्तन कर रहे है। ऐसी स्थिति में विवादित एराजी की यथास्थिति का प्रतिवेदन अधिवक्ता आयुक्त से मांगना काफी आवश्यक है ताकि विवादित एराजी की वस्तुस्थिति अभिलेख पर मौजूद रहे। विवादित एराजी मद न0–02 नालिश एराजी का पूरा विवरण इस आवेदन के अंत में मद न0–क में दिया गया है। जिसपर अधिवक्ता आयुक्त से जाँचोपरांत प्रतिवदेन तलब करना है। विवादित एराजी की दूरी न्यायालय से करीब 20 किलोमीटर है जहाँ पर सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध है तथा आने जाने में कोई कठिनाई नही है। वादी अधिवक्ता आयुक्त का शुल्क जमा करने को तैयार है। अतः वादी का आवेदन स्वीकार कर आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर प्रतिवेदन माँगने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 व 02 की तरफ से वादी के द्वारा दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 14.10.2022 को दाखिल किया गया। जिसमें वादी द्वारा दाखिल आवेदन खारिज योग्य बताया गया तथा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा मिट्टी भरकर निर्माण करने की बात गलत बतायी गयी तथा वादग्रस्त भूमि सहित अन्य भूमि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पिता से निबंधित दस्तावेज द्वारा जरसमन भुगतान कर वर्ष 2010 एवं वर्ष 2015 में	

लगातार 29.11.2022	खरीदा गया बताया। जिसमें प्रतिवादीगण एसबेस्टस एवं ईट खपरफोस तथा फुस का घर बनवाना बताया गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा सपरिवार रहना भी बताया गया तथा वादी द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने की कोशिश बतायी गयी तथा वादी का आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी का कहना है कि प्रतिवादी सं0–01 व 02 के दारा वादग्रस्त भूमि पर मिट्टी भरकर मकान निर्माण किया जा रहा है। जबकि वादी के द्वारा यह वाद मद न0–02 नालिश की एराजी पर हकियत की घोषण दखल कब्जा वापसी सहित अन्य दादरसी के लिए लाया गया है। प्रतिवादी सं0–01 व 02 के द्वारा अपने प्रत्युत्तर में वादग्रस्त भूमि पर मिट्टी भरकर निर्माण कार्य करने की बात गलत बतायी गयी है तथा वादग्रस्त भूमि वादी के पिता द्वारा वर्ष 2010 एवं 2015 में खरीदना बताया है तथा उसपर प्रतिवादीगण द्वारा घर बनाकर सपरिवार रहना भी बताया है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त का खर्च वहन करने को तैयार है। अतः वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– रूपये वादी पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा। वाद दिनांक 22.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	